

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 14.08.2019

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका SBCWP No. 3684/2018 ऋषि सिंह सोलंकी बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य का निस्तारण हो जाने एवं मुख्य सूची में अपात्र रहे अभ्यर्थियों के विरुद्ध व्याख्याता-विधि (कॉलेज शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2014 का दिनांक 28.02.2019 को जारी साक्षात्कार उपरान्त परिणाम निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

मुख्य सूची

1. निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर **मुख्य सूची** में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

S.No	Roll No.	CTG	Merit No. (Main List)	Selection Type
01	162236	GEN,RG	Merit No. M-57 A	GENM
02	146344	GEN	Merit No. M-57 B	GENM
03	103906	BC	Merit No. M-68 A	OBCM
04	110979	BC	Merit No. M-69 A	OBCM

2. मुख्य सूची में मेरिट नम्बर 57, अभ्यर्थी रोल नम्बर 157346, BC का चयन वर्ग OBCM से GENM किया जाता है।
3. मुख्य सूची के अन्तर्गत निम्नलिखित मेरिट क्रमांक का चयन वर्ग GENM से GENF किया जाता है:-

S No.	Merit No.	Roll No.	CTG.	OLD SELCETION TYPE	NEW SELCETION TYPE
01	M-01	120700	BC,WE,RG,NG	GENM	GENF
02	M-02	113101	GEN,WE	GENM	GENF
03	M-04	121400	BC,WE	GENM	GENF

4. अभ्यर्थी ऋषि सिंह सोलंकी, BC, रोल नम्बर 183601, प्राप्तांक 105.63 के आधार पर स्वयं के वर्ग अपिजा-पुरुष के कट ऑफ मार्क्स में नही आने के कारण अचयनित रहता है।
5. उक्त परीक्षा के अन्तर्गत जारी परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.याचिका संख्या 655/2018 में दिनांक 01.02.2018 में पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका एस.एल.पी. नम्बर 26791/18 राज्य सरकार बनाम हेमराज मीणा में होने वाले निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

(कै. के. शर्मा)
सचिव